

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2018 / 4791 / बुंदी सरकार बनाम कस्तुरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य</p> <p>उपस्थित :- श्री खुरशीद अनवर, उप राज. अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित,</p> <p style="text-align: right;">दिनांक : 8 अगस्त, 2023</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>1. यह रेफरेंस न्यायालय अति० जिला कलेक्टर बुन्दी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा-82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 12-11-2012 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार नैनवां, जिला बुन्दी ने निवेदन किया कि ग्राम कोटडी तहसील नैनवां की जमाबन्दी संवत् 2001-04 के खसरा नंबर 63 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म गै०मु० नदी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसे भू-प्रबन्ध संवत् 2028-47 खसरा नंबर-13 रकबा-6 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। जो बिल्कुल गलत है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 एवं भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि है तथा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी होने के कारण इस भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। आवंटन विधि विरुद्ध होने के कारण खातेदारी अधिकार भी विधि विरुद्ध है। उक्त आवंटन डी०बी० सिविल जनहित याचिका सं० 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 में दिए गए निर्देशों के विपरीत है। अतः विवादित भूमि को सिवायचक किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2018 / 4791 / बूंदी सरकार बनाम कस्तुरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>12-11-2012 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>3. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से तलब किया गया, जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>4. योग्य अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदियां, नाले, झीलें और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन/खातेदारी खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 के अनुसार किया जाना नियम विरुद्ध है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी होने के कारण उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन व इसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति सिवायचक गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें।</p> <p>5- हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के तर्कों पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।</p> <p>6- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम कोटडी तहसील नैनवां की जमाबन्दी संवत् 2001-04 के खसरा नंबर 63 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म गै0मु0 नदी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसे भू-प्रबन्ध संवत् 2028-47 खसरा नंबर-13 रकबा-6 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। जो बिल्कुल गलत है। चूंकि राजस्व अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी होना स्पष्ट है जो कि जलस्रोत की भूमि है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आती है तथा विवादित भूमि भू राजस्व</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2018 / 4791 / बूंदी सरकार बनाम कस्तुरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन / नियमन / खातेदारी योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02-08-2004 पारित करते हुए नाला, नदी, तालाब व नाड़ी इत्यादि की भूमियों के खातेदारी में दर्ज होने पर उसे निरस्त करने की कार्यवाही के आदेश प्रदान किए हैं। उपरोक्त विधिक स्थिति के परीप्रेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश को निरस्त कर विवादित भूमि की किस्म पूर्व की भांति सिवायचक गैर मुमकिन नदी दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>7- फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन, इसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण एवं आदिनांक तक राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाता है तथा उक्त विवादित भूमि मौजा/ग्राम कोटडी में आराजी खसरा नंबर 13 रकबा 6 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाई जाकर पुनः राजकीय खाते में गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>8- आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(भंवर सिंह साब्दू) सदस्य</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस / एलआर / 2018 / 4791 / बूंदी सरकार बनाम कस्तुरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए